एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1612/2007
जगदीश प्रसाद बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

13.4.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री सतीश खण्डेलवाल, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उन्होनें राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.33 का अवलम्ब लेते हुए कथन किया कि चूंकि जिस वाहन का परमिट दिया गया था वह खराब हो गया था तथा उक्त नियम की पालना करते हुए उन्होनें विधिवत विपक्षी संख्या 3 सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, दौसा को तार देकर यह सूचित किया कि वे अपने वाहन के ऐवज में वाहन संख्या आरजे 29 पी 0788 को निर्धारित मार्ग हिण्डौन से टोडाभीम पर दिनांक 27.10.2003 को संचालित करेंगे। आक्षेपित आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब याची से मूल रसीद मांगी गयी तो वे नहीं दे पाये तथा रसीद की कटिंग के बारे में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। परिवहन निरीक्षक को उप डाकपाल महुवा के यहां रसीद की सत्यता के बारे में जांच करने हेतु भेजा गया। वहां भी इस बाबत कोई सत्यापन नहीं हो सका तथा उप डाकपाल महुवा ने लिखकर दिया है कि इस बाबत कोई जानकारी मिलना सम्भव नहीं है। नियमानुसार दूसरी बस के संचालन करने के समय वाहन चालक के साथ तार की प्रमाणित प्रतिलिपि होना आवश्यक है। इस प्रकरण में ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करने में वे असफल रहे हैं। आया कि तार दिया गया अथवा नहीं यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है। इस बाबत जो अवधारणा विपक्षी द्वारा ली गयी है उसमें न्यायालय द्वारा रिट याचिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति